न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 167/2019 निर्णय दिनांक :– 15.12.2023

उनवानी वाद :

1. भंवरलाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. लाड़ पुत्री छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. रामलाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. पाना पुत्री छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री नन्दलाल मीणा
अधिवक्तमा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
पेराकार सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के काका कल्याण मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोक को आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1648/1718 रकबा 1.15 है0 भूमि वाके ग्राम पोल्याड़ी पटवार क्षेत्र पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक मे स्थित दिनांक 19.07.1988 को आवंटन हुई थी जिसके हाल खसर। नम्बर 666 रकबा 1.15 है0 है। उक्त भूमि आवंटन के बाद कल्याण मीणा की खातेदारी में लगा दी गई थी तथा कल्याण मीणा की मृत्यु के बाद उसका फोती का नामांतकरण खोला गया जिसमे सहवन से सोसर बेवा कल्याण व भंवरलाल पुत्र कल्याण व लाड़ पुत्री कल्याण मीणा अंकित कर दिया गया है जो गलत है।

कल्याण मीणा लाऔलाद फोत हुआ था तथा कल्याण के तीन भाई हीरा, खाना, छीतर थे जिसमे से हीरा व खाना भी लाऔलाद फोत हुये थे तथा छीतर की भी मृत्यु हो गई जिसके पत्नि सोसर व वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 वारिसान है। कल्याण लाऔलाद फोत हुआ था तथा उसके दो भाई हीरा व खाना भी लाऔलाद फोत हुये थे इस कारण कल्याण के वारिसान मे सोसर बेवा छीतर तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम खातेदारी मे दर्ज होना चाहिये था। कल्याण की मृत्यु के बाद जो नामांतकरण खोला गया उसमे सोसर को कल्याण की बेवा व भंवरलाल व लाड़ को कल्याण के पुत्र व पुत्री अंकित किया है जबकि सोसर, छीतर की पत्नि है तथा भंवरलाल व लाड़, छीतर के पुत्र व पुत्री है तथा छीतर के रामलाल व पाना भी पुत्र व पुत्री है जिनका नाम भी अंकित होना चाहिये था क्योंकि कल्याण का एकमात्र वारिस उसका भाई छीतर था तथा छीतर की मृत्यु के बाद उसके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 व सोसर बेवा छीतर मीणा है तथा सोसर की भी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान मे उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण मीणा की खातेदारी में है जबकि सोसर, कल्याण की बेवा नहीं है बल्कि छीतर की बेवा है तथा भंवरलाल, कल्याण का पुत्र ना होकर छीतर का पुत्र है तथा लादू नाम का कोई पुत्र छीतर के नही था परन्तु लाड़ नाम की पुत्री है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 के काका कल्याण मीणा की आवटन शुदा भूमि व खातेदारी की भूमि है जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलावा कल्याण मीणा के अन्य कोई वारिस नही है इस कारण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर सोसर बेवा कल्याण व लादू पुत्र कल्याण का नाम विलोपित कर भंवरलाल पुत्र कल्याण के बजाय भंवरलाल पुत्र छीतर तथा लादू पुत्र कल्याण के स्थान पर वादी सं. 2 का नाम अंकित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्य रिकार्ड में इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित आराजी भूमि पर लगभग 30 वर्षों से लगातार वादीगण के पूर्वजो के समय से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है इस कारण तहत कानून एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है।उक्त भूमि में वादीगण का नाम गलत अंकन होने से वादीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा वादीगण केन्द्र / राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा ऋण नहीं ले पा रहे है। वाद कारण लगभग एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने

पटवारी से नकल प्राप्त की तथा बैंक द्वारा भी राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन होने से वादीगण को ऋण देने में असमर्थता प्रकट की तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण का निवास स्थान व आराजी भूमि श्रीमान, के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। वादीगण की अभियाचना है कि:–

अ–वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर सोसर बेवा कल्याण व लादू पुत्र कल्याण का नाम विलोपित कर भंवरलाल पुत्र कल्याण के बजाय भंवरलाल पुत्र छीतर तथा लादू पुत्र कल्याण के स्थान पर वादी सं. 2 का नाम अंकित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 को वाद वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 668 रकबा 1.15 है0 भूमि वाके ग्राम पोल्याडी पटवार क्षेत्र पोल्याडा तहसील देवली जिला टोक राज० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

ब–खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे तथा अन्य सहायता जा वादीगण के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करवायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दलाल मीणा ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:– वाद पत्र का चरण नम्बर 1 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के काका कल्याण मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोक को आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1648/1718 रकबा 1.15 है0 भूमि वाके ग्राम पोल्याड़ी पटवार क्षेत्र पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक मे स्थित दिनांक 19.07.1988 को आवंटन होना तथा जिसके हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.15 है० होना स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 मे उक्त भूमि आवंटन के बाद कल्याण मीणा की खातेदारी मे लगाना स्वीकार है तथा कल्याण मीणा की मृत्यु के बाद उसका फोती का नामांतकरण खोला गया जिसमे सहवन से सोसर बेवा कल्याण व भंवरलाल पुत्र कल्याण व लाड़ पुत्री कल्याण मीणा अंकित हो गया जो गलत है। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 मे वर्णित तथ्य कल्याण मीणा लाऔलाद फोत होना तथा कल्याण के तीन भाई हीरा, खाना, छीतर होना जिसमे से हीरा व खाना भी लाऔलाद फोत होना तथा छीतर की भी मृत्यु होना जिसके पत्नि सोसर व वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 वारिसान होना स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है।

वाद पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। कल्याण की मृत्यु के बाद जो नामांतकरण खोला गया उसमे सोसर को कल्याण की बेवा व भंवरलाल व लाड़ को कल्याण के पुत्र व पुत्री अंकित किया है जबकि सोसर, छीतर की पत्नि है तथा भंवरलाल व लाड़, छीतर के पुत्र व पुत्री है तथा छीतर के रामलाल व पाना भी पुत्र व पुत्री है जिनका नाम भी अंकित होना चाहिये था क्योंकि कल्याण का एकमात्र वारिस उसका भाई छीतर था तथा छीतर की मृत्यु के बाद उसके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 व सोसर बेवा छीतर मीणा है तथा सोसर की भी मृत्यु हो चुकी है। वाद पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। वर्तमान मे उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण मीणा की खातेदारी मे है जबकि सोसर, कल्याण की बेवा नही है बल्कि छीतर की बेवा है तथा भंवरलाल, कल्याण का पुत्र ना होकर छीतर का पुत्र है तथा लादू नाम का कोई पुत्र छीतर के नहीं था परन्तु लाड़ा नाम की पुत्री है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। वाद पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 के काका कल्याण मीणा की आवटन शदा भूमि व खातेदारी की भूमि है जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलावा कल्याण मीणा के अन्य कोई वारिस नही है इस कारण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर सोसर बेवा कल्याण व लादू पुत्र कल्याण का नाम विलोपित कर भंवरलाल पुत्र कल्याण के बजाय भंवरलाल पुत्र छीतर तथा लाड पुत्री कल्याण के स्थान पर वादी सं. 2 का नाम अंकित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावे। वाद पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। उक्त वर्णित आराजी भूमि पर लगभग 30 वर्षो से लगातार वादीगण के पूर्वजो के समय से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है इस कारण तहत कानून एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। वाद पत्र का चरण नम्बर 9 स्वीकार है। उक्त भूमि मे वादीगण का नाम गलत अंकन होने से वादीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा वादीगण केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा ऋण नहीं ले पा रहे है।वाद पत्र का चरण नम्बर 10, 11, 12 व 13 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर सोसर बेवा कल्याण व लाड़ पुत्री कल्याण का नाम विलोपित कर भंवरलाल पुत्र कल्याण के बजाय भंवरलाल पुत्र छीतर तथा लादू पुत्र कल्याण के

स्थान पर वादी सं. 2 का नाम अंकित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 को याद वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 666 रकबा 1.15 है० भूमि याके ग्राम पोल्याड़ी पटवार क्षेत्र पोल्याडा तहसील देवली जिला टोक राज० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तो इसमे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– बिन्दू नं. 1 :–वादीगण व प्रतिवादीगण ने ग्राम पोल्याड़ी तह. देवली में अपने काका कल्याण भीणा आवंटन बताया गया है जबकि कल्याण की वल्दियत व आवंटन पत्रावली सुपुर्दगीनामा इत्यादि सबूत संलग्न नहीं किये गये है। आवंटन के सबूत वादी व पव्रतिवादी सव्यं सिद्ध करे। बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 2 वादी का कथन है कि कल्याण के खातेदारी लगाकर विरासत का नामान्तकरण खोला गया है जो गलत है क्योकि विरासत का नागान्तकरण गैर खातेदारी में खोला गया है।जो गलत है, क्योंकि विरासत का नामान्तकरण गेर खातेदारी मे खोला गया है। बिन्दू स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 3:– वादीगणो ने कल्याण को लाऔलाद बताया गया है जबकि कल्याण के पिता का नाम नागान्तकरण से नानगी दर्ज है व ग्राम पंचायत द्वारा देय वारिस प्रमाण पत्र में कल्याण की वल्दियत गोपी बताई हुई है व वाद में वल्दियत दर्ज नहीं है। बिन्दू नं. 3 स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 4 वादीगणो ने कल्याण का भाई छीतर बताया गया है। वारिस प्रमाण पत्र में दोनो के पिता गोपी बताया है जबकि मिसल बन्दोबस्त में कल्याण की वल्दियत नानगी दर्ज है। इस प्रकार कल्याण का सगा भाई छीतर प्रतीत नहीं होता है। बिन्दू 4 स्वीकार नहीं है। बिन्दू नं. 5 लगायत 8 न्यायालय से सम्बन्धित है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किये जाने से तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार से वादीगणो की पूर्वजों की फेक्चुअल रिपोर्ट भिजवाने बाबत , तहसीलदार देवली को पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली ने पत्रांक 2465 दिनांक 08.11.23 से फेक्चुअल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मौका पर्चा अनुसार तथ्य पेश किये जो इस प्रकार है:–भू. अभि. निरीक्षक व पटवार हल्का मौके पर पहुंचे । उपस्थित मौतविरान ने बताया कि कल्याण अविवाहित फोत हो गया था। अतः कल्याण के पिता गोपी पुत्र नानगी उर्फ नानू के वारिसान की जांच निम्न शजरानुसार बताई:–

स्व. गोपी (फोत) पुत्र नानजी उर्फ नानू मीणा

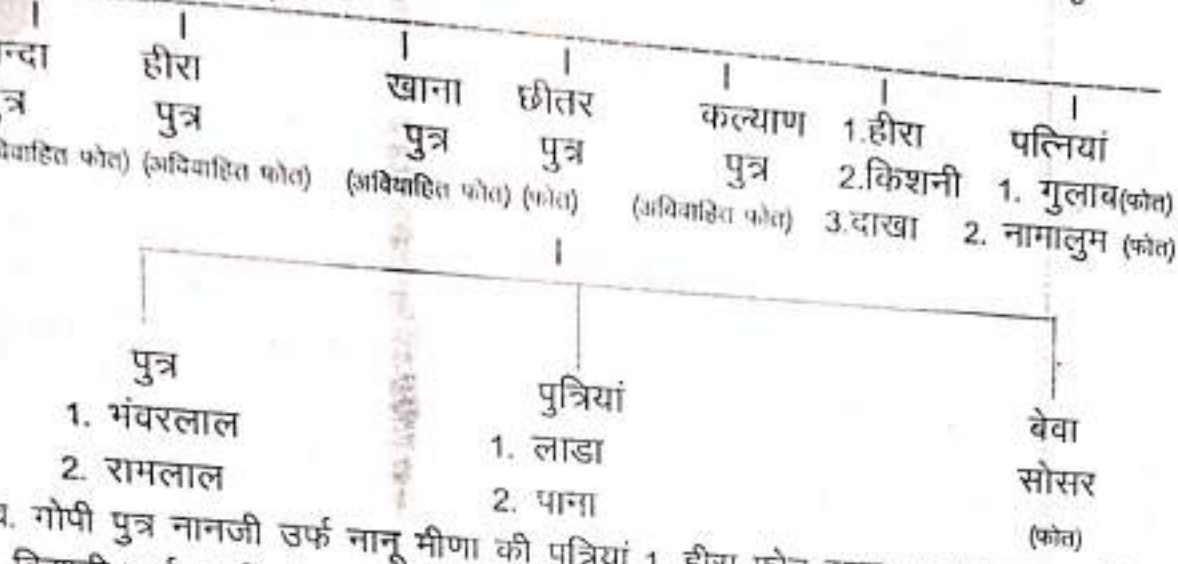

नन्दा पुत्र (अविवाहित फोत) | हीरा पुत्र (अविवाहित फोत) | खाना पुत्र (अविवाहित फोत) | छीतर पुत्र (फोत) | कल्याण पुत्र (अविवाहित फोत) | 1.हीरा 2.किशनी 3.दाखा | पत्नियां 1. गुलाब(फोत) 2. नामालुम (फोत)

पुत्र
1. भंवरलाल
2. रामलाल

पुत्रियां
1. लाडा
2. पाना

बेवा
सोसर
(फोत)

स्व. गोपी पुत्र नानजी उर्फ नानू मीणा की पुत्रियां 1. हीरा फोत ससुराल ख्याता का झोंपड़ा 2. किशनी उर्फ टपरी फोत ससुराल भैरूपुरा मीणान 3. दाखा ससुराल फोत भैरूपुरा मीणान

उक्त शजरा उपस्थित मौतविरान द्वारा बताये अनुसार गोपी की दो पत्नीयों में से एक पत्नी का नामालूम नहीं होना बताया। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त शजरा उपस्थित मौतविरान को पढकर सुनाया, उक्त शजरा के अलावा कोई वारिसान अन्य कोई वारिसान नहीं होना बताया गया ।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 भंवरलाल पुत्र श्री छीतर जांति मीणा उम्र बालिग निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक पेश किया जो निम्नानुसार वर्णित है:–मै शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरी व अन्य वादी लाड पुत्री छीतर जो कि मेरी बहिन है, एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के काका कल्याण मीणा निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक को आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1648/1718 रकबा 1.15 है0 भूमि वाके ग्राम पोल्याड़ा पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है, दिनाक 19.07.1988 को आवंटन हुई थी। जिसके हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.15 है0 है। उक्त भूमि आवंटन के बाद कल्याण मीणा की खातेदारी में दर्ज कर दी थी तथा कल्याण मीणा की मृत्यु के बाद उसका फौती नामान्तकरण खोला गया जिसमें सहवन से सोसर बेवा कल्याण व भंवरलाल पुत्र कल्याण एवं लाड़ पुत्री कल्याण मीणा अंकित कर दिया गया जो कि गलत है। कल्याण मीणा लाऔलाद फोत हुआ था तथा कल्याण के तीन भाई क्रमशः हीरा, खाना एवं छीतर थे। जिसने से हीरा व खाना भी लाओलाद फोत हुए थे तथा छीतर की मृत्यु हो गई जिसके विधिक वारिसान पत्नी सोसर एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व

वारिस उत्तराधिकारी है। कल्याण लाऔलाद फौत हुआ था जिसके दो भाई हीरा व खाना भी लाऔलाद फौत हुए थे। इस कारण कल्याण के वारिसान में सोसर बेवा छीतर, वादीगण एवं प्रतिवादीगण न 1 व 2 का नाम खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। कल्याण की मृत्यु के बाद जो नामान्तकरण खोला गया उसमें सोसर को मृतक कल्याण की बेवा एवं मुझे व वादी नं. 2 लाड़ को कल्याण के पुत्र व पुत्री अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि सोसर मृतक छीत्तर की पत्नी है तथा मैं व लाड मृतक छीत्तर के पुत्र व पुत्री है तथा मृतक छीतर के रामलाल व पाना भी पुत्र व पुत्री है। जिनका नाम भी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए था जो कि मृतक कल्याण का एकमात्र वारिस उसका भाई मृतक छीतर था तथा छीतर की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 एवं सोसर बेवा छीतर मीणा है तथा सोसर बेवा छीतर की भी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण मीणा की खातेदारी है। जबकि सोसर कल्याण की बेवा नहीं है, बल्कि छीतर की बेवा है तथा भंवरलाल मृतक कल्याण का पुत्र ना होकर मृतक छीतर का पुत्र है तथा लादू नामक कोई पुत्र मृतक छीतर का नहीं था। परन्तु लाड नाम की पुत्री है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना अतिआवश्यक है। वाद वर्णित भूमि मेरी व वादी नं 2 एवं प्रतिवादीगण नं 1 व 2 के काका मृतक कल्याण मीणा की आवंटनशुदा खातेदारी की भूमि है। मृतक कल्याण के विधिक वारिसान मैं शपथकर्ता वादी एवं प्रतिवादीगण में ये 2 है तथा मुझ शपथकर्ता, वादी नं. 2 एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के अलावा अन्य कोई मृतक कल्याण मीणा के वारिस नहीं है। इस कारण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर सोसर बेवा कल्याण व लादू पुत्र कल्याण का नाम विलोपित कर भंवरलाल पुत्र कल्याण के बजाय भंवरलाल पुत्र छीतर तथा लादू पुत्र कल्याण के स्थान पर वादी नं. 2 का नाम अंकित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को वाद वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। वाद वर्णित आराजीयात भूमि पर विगत करीब 30 वर्षों से लगातार वादीगण के पूर्वजो के समय से ही मेरा व वादी न. 2 एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। इसलिए तहत कानून एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 प्रदर्श –1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76, प्रदर्श–2 नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पोल्याड़ा, प्रदर्श–3 सजरा ग्राम पंचायत पोल्याड़ा प्रदर्श–4

व 5 भू–प्रबन्ध जमाबन्दी 2046–65, प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग 2046–65, प्रदर्श–7 पर्चा खतोनी पेश किया है।

जिरहः–प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब होने से जिरह नील रही।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादी स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2073–66 के कॉलम संख्या 4 सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण जाति मीना सा. देह खातेदारी का अंकन है । प्रदर्श–2 नामान्तकरण पंजिका ग्राम पोल्याड़ा में कॉलम संख्या 7 कल्याण पुत्र नानजी कोम मीणा सा. देह गैर खातेदार व कॉलम संख्या 9 में सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र व लाड पुत्री कल्याण मीणा सा. देह गैर खातेदार का अंकन है। अंतिम कॉलम में लिखा है कि विरासत का नामान्तकरण भर कर पेश है। प्रदर्श–3 कार्यालय ग्राम पंचायत, पोल्याड़ा का सरपंच द्वारा जारी सजरा अनुसार गापीलाल पुत्र नानूलाल मीणा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान चार पुत्र हीरा, खाना, कल्याण, छीतर फोत हो गये है। छीतर के वारिसान भंवरलाल, रामलाल पुत्र लाडा, पाना पुत्री व सोसर बेवा छीतर है। प्रदर्श–4 भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 की जमाबन्दी में खाता संख्या 240 ख. नं. 1648/1718 रकबा 1.15 है0 कल्याण पुत्र नानजी कोम मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार सा. ख. नं. 1648/1718 रकबा 1.15 है0 से नये हाल ख. नं. नये ख. नं. 666 बने है।

वाद वादीगण अुनसार हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में दर्ज सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण जाति मीना में सोसर बेवा कल्याण के स्थान पर सोसर बेवा छीतर, भंवरलाल पुत्र कल्याण के स्थान पर भंवरलाल पुत्र छीतर व लादू पुत्र कल्याण के स्थान पर लाडा पुत्र छीतर दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है।

अपने वाद के समर्थन में वादीगण ने ग्राम पंचायत पोल्याड़ा के सजरा अनुसार गोपी के वारिसान हीरा, खाना, कल्याण के कोई वारिसान नहीं होना बताया है और गोपी के चतुर्थ पुत्र छीतर के भंवरलाल, रामलाल पुत्र लाडा पाना

पुत्री सोसर पत्नी बताया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 रामलाल व पाना ने वाद को स्वीकार करते हुए बताया है कि कल्याण का एकमात्र वारिस उसका भाई छीतर था। सोसर कल्याण की बेवा नहीं है, बल्कि छीतर की बेवा है तथा भंवरलाल मृतक कल्याण का पुत्र ना होकर मृतक छीतर का पुत्र है तथा लादू नामक कोई पुत्र मृतक छीतर का नहीं था। परन्तु लाड नाम की पुत्री है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना अतिआवश्यक है। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 ने अपने शपथपत्र में वाद के तथ्यो को ही दोहराया है।

तहसीलदार देवली से कमांक 2465 दिनांक 8.11.23 से प्राप्त फेक्चुअ रिपोर्ट अनुसार स्व. गोपी पुत्र नानजी उर्फ नानू मीणा के चार पुत्र नन्दा, हीरा, खाना, कल्याण अविवाहित फोत हुए थे। पांचवा पुत्र छीतर फोत के वारिसान भंवरलाल रामलाल पुत्र लाडा, पाना पुत्रियां व सोसर बेवा थी।

उक्त सजरा, जवाब, साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व तहसीलदार रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आते है कि कल्याण पुत्र नानजी की खातेदारी भूमि साबिक ख. नं. 1648/1718 रकबा 1.18 है0 थी। कल्याण अविवाहित फोत हुआ था। कल्याण के अन्य भाई नन्दा, हीरा, खाना, भी अविवाहित फोत हुए थे। केवल कल्याण का भाई छीतर ही विवाहित फोत हुआ था जिसके वारिसान भंवरलाल रामलाल पुत्र लाडा, पाना पुत्रियां व सोसर बेवा थी और सोसर की भी मृत्यु हो चुकी है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2073–36 ख. नं. 666 रकबा 1.15 है0 के कॉलम संख्या 4 सोसर बेवा भंवरलाल पुत्र लादू पुत्र कल्याण जाति मीना सा. देह खातेदारी का अंकन है, जो उक्तानुसार राजस्व कार्मिको से गलत अंकन होना प्रतीत होता है। जिसको शुद्व किया जाना न्यायोचित है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 666 रकबा 1.15 है0 में दर्ज प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को ख. नं. 666 रकबा 1.15 है0 ग्राम पोल्याड़ी पटवार हल्का पोल्याड़ी का खातेदार घोषित किया जाता है।

तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....मुकाम
उनवानी वाद :
उनवानी वाद :

1. भंवरलाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. लाड़ पुत्री छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

वनाम

1. रामलाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. पाना पुत्री छीतर जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज</u>
मुकदमा नं. 167 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू नन्दलाल मीना अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2073—67 के ख. नं. 666 रकबा 1.15 है0 में दर्ज प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को ख. नं. 666 रकबा 1.15 है0 ग्राम पोल्याड़ी पटवार हल्का पोल्याड़ी का खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी..................................मुयलिक..................................बाबत् ....
........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... को अदा करें।

...ख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 12 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा पर की करौतीन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए